न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 123 /2022 तारीख रजू :- 17.6.22

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/318

उनवान

मुकेश पुत्र नाथ्या जाति मीना निवासी कोटरा ढहर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

——सायलान——01

बनाम

श्रीफुल पुत्र बोना जाति जाटव निवासी कोटरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

——गैरसायलान——06

दिनांक	फर्द अहकाम
17.6.22	आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री बिजेन्द्र सिंह गुर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायलान को बेदखल नहीं करने, निर्माण नहीं करने हेतु गैरसायल को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1616 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम कोटरा ढहर तहसील हिण्डौन में आगामी तिथी तक रिकॉर्ड एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 18.07.2022 को पेश हों। (अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

18/7 पत्रावली पेश हुई। सायल व गैरसायल वकील उप0। सायलान व सायलान वकील ने अवगत कराया कि सायलान बेदखल आगे नहीं चलाना चाहता है। सायलान बेदखल नोटिस से खारिज कराना चाहता है। अतः मु0 न0 123/22 T.E मुलिश बनाम श्रीफूल नोटिस से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रतिलिपि
प्रतिलिपि
NOTICE
सायलान
मुकेश